

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 382]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2016—भाद्र 24, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. 14939-249-इकाई-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6 सितम्बर, 2016
को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिताभ मिश्र, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २८ सन् २०१६

पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६

विषय-सूची.

धाराएः:

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. परिभाषाएँ.
३. विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन.
४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.
५. अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग.
६. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.
७. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.
८. कुलाधिपति.
९. कुलपति.
१०. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
११. कुलसचिव
१२. वित्त नियंत्रक.
१३. संकायाध्यक्ष.
१४. संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण.
१५. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
१६. शासी निकाय.
१७. शासी निकाय का गठन.
१८. शासी निकाय की शक्तियां तथा कृत्य.
१९. कार्य परिषद्.
२०. कार्य परिषद् का गठन.
२१. कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
२२. विद्या परिषद्.
२३. विद्या परिषद् का गठन.
२४. विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
२५. वित्त समिति.
२६. प्राध्ययन स्कूल.
२७. परिनियम.
२८. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
२९. अध्यादेश.
३०. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३१. विनियम.
३२. विनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३३. वार्षिक रिपोर्ट.
३४. लेखाओं की संपरीक्षा.
३५. विश्वविद्यालय की निधि.
३६. उपाधि तथा उपाधिपत्र.
३७. सम्मानिक उपाधियां.
३८. उपाधियों इत्यादि का प्रत्याहरण,
३९. राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी.
४०. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिये विशेष उपबंध.
४१. कठिनाईयों का दूर किया जाना.
४२. अस्थायी उपबंध.
४३. संरक्षण.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २८ सन् २०१६

पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६

[दिनांक ६ सितम्बर, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १५ सितम्बर, २०१६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिये आधारभूत विज्ञानों, कला, वाणिज्य, विधि और अन्य विषयों के समस्त स्वरूपों में उच्चतम शिक्षा, गवेषणा, विस्तार और प्रशिक्षण को गति देने के लिए एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्चर शिक्षा अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिये अहं किसी प्रमुख महाविद्यालय के उन्नयन की योजना के अंतर्गत शहडोल, मध्यप्रदेश में पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं

- (क) "विद्या परिषद्" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;
- (ख) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;
- (ग) "संकायाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के स्कूल का संकायाध्यक्ष;
- (घ) "संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;
- (ङ) "विभाग" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का विभाग;
- (च) "कार्य परिषद्" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;
- (छ) "वित्त नियंत्रक" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक;
- (ज) "शासी निकाय" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का शासी निकाय;
- (झ) "हाल" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई संधारित या मान्यताप्राप्त निवास इकाई, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो;
- (ञ) "विहित" से अभिप्रेत है, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित;
- (ट) "मान्यता प्राप्त संस्था" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या मान्यताप्राप्त या उसके साथ संबद्ध कोई उच्च शिक्षण संस्था;
- (ठ) "कुल सचिव" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुल सचिव;
- (ड) "केन्द्र" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित केन्द्र;
- (ढ) "परिनियमों, "अध्यादेशों" और "विनियमों" से अभिप्रेत है, तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम;
- (ण) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन स्थापित पंडित एस. एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय;
- (त) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) की धारा ४ के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;
- (थ) "कुलपति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलपति;

विश्वविद्यालय की
स्थापना एवं निगमन.

३. (१) मध्यप्रदेश राज्य में “पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय” के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय का मुख्यालय शहडोल, मध्यप्रदेश में होगा।

(३) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा।

(४) विश्वविद्यालय ऐकिक तथा असंबद्धक विश्वविद्यालय होगा।

विश्वविद्यालय के
उद्देश्य।

४. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :—

- (एक) शिक्षण, गवेषणा और विस्तार के माध्यम से उभरती विचारधारा एवं उपागम, उन्नत ज्ञान, बुद्धि और समझ का प्रसार करना;
- (दो) अध्ययन की ऐसी शाखाओं में ज्ञान को, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करती हों, संस्थागत एवं गवेषणा सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्नत करना;
- (तीन) विकसित देशों में उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी एवं तकनीक, आधुनिक साधन एवं पद्धति, प्रतिकृति एवं मापदंडों, रणनीतियों एवं दृष्टिकोण, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के उच्च शिक्षण के लिये, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं संगठनों के सहयोग से नेटवर्क स्थापित करना;
- (चार) सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने के लिए, तकनीकी तथा अन्य विषयों की मूल सीमाओं में विज्ञान, कला, वाणिज्य, विधि तथा समुचित कार्यक्रमों में स्नातक/परास्नातक एवं उच्चतर स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम आयोजित करना;
- (पांच) छात्रों और अध्यापकों तथा नागरिकों के बीच भी देश की सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता एवं समझ प्रोन्त करना और ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उन्हें तैयार करना;
- (छह) विश्वविद्यालय में विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य तथा विधि में शिक्षा, गवेषणा, विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए विशेष उपबंध करना;
- (सात) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्यों और अन्य सुसंगत साहित्य का प्रलेखन करना, प्रकाशित करना और प्रसार करना;
- (आठ) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय के समस्त या उनमें से किसी उद्देश्य को पूरा करने में सहायक हों।

अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग।

५. विश्वविद्यालय शासी निकाय के अनुमोदन से अपनी शिक्षा, गवेषणा, विस्तार तथा प्रशिक्षण की गतिविधयों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य के बाहर या विदेश में जिसमें विदेशी छात्र सम्मिलित हैं, किसी संस्था के साथ सहयोग कर सकेगा।

विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध।

६. विश्वविद्यालय, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग अथवा कृत्यों का पालन करने में भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म-स्थान, राजनैतिक या अन्य अभिमत के आधार पर या उनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य।

७. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

- (एक) शिक्षा, गवेषणा, विस्तार एवं प्रशिक्षण के लिए विभाग/केन्द्र और ऐसी अन्य इकाईयां स्थापित करना जैसी कि इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक हों;
- (दो) बहिर्वर्ती शिक्षण, विस्तार एवं प्रशिक्षण गतिविधियां, व्यक्तित्व एवं कौशल विकास, क्षमता निर्माण और उपचारी पाठ्यक्रम आयोजित करना एवं उनका जिम्मा लेना;

- (तीन) शिक्षण के लिए जिसमें दूरस्थ तथा मुक्त अध्ययन शिक्षा में अध्ययन की ऐसी शाखाएं सम्मिलित हैं जिन्हें कि विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, व्यवस्था करना और गवेषणा के लिये एवं ज्ञान के उन्नयन एवं प्रसार के लिए उपबंध करना;
- (चार) प्रवेश के लिये परीक्षा आयोजित करना और व्यक्तियों को उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टिएं प्रदान करना और ऐसे किन्हीं उपाधि-पत्रों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का युक्तियुक्त तथा पर्याप्त कारणों से प्रत्याहरण करना;
- (पांच) ऐसे अध्यापन, तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य पदों का सृजन करना जो कि विश्वविद्यालय समय-समय पर, आवश्यक समझे और उन पर नियुक्तियां करना;
- (छह) आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य के रूप में व्यक्तियों को नियुक्ति करना या अन्यथा विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के रूप में मान्यता देना;
- (सात) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अभिनन्दन तथा पुरस्कार संस्थित करना तथा प्रदान करना;
- (आठ) विश्वविद्यालय के छात्रों तथा कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित करना एवं उसका पालन करवाना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो कि आवश्यक समझे जाएं;
- (नौ) विश्वविद्यालय के छात्रों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण को प्रोन्त करने के लिए व्यवस्था करना;
- (दस) ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन पर परस्पर सहमति हो, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जो कि समय-समय पर विहित किए जाएं, उन उद्देश्यों को प्रोन्त करने की दृष्टि से, जो कि विश्वविद्यालय के समान हो, भारत तथा विदेश में किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकारी या किसी सार्वजनिक अथवा निजी निकाय के साथ सहयोग करना;
- (ग्यारह) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारियों के साथ अनुदान प्राप्त करने और किसी अन्य संस्था के विश्वविद्यालय में निगमन के लिये भी और इसके अधिकार, संपत्तियां प्राप्त करने और किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिये जो इस अधिनियम से असंगत न हो, कोई करार करना;
- (बारह) ऐसे शुल्क तथा अन्य प्रभार, जिसमें समय-समय पर यथाविहित स्ववित्तीय पाठ्यक्रम सम्मिलित है, की मांग करना तथा भुगतान प्राप्त करना;
- (तेरह) दान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए कोई चल-अचल संपत्ति जिसमें मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अथवा बाहर स्थित न्यास अथवा विन्यास संपत्ति सम्मिलित है, अर्जित करना, धारण करना और व्ययन करना, और निधियों का ऐसी रीति में निवेश करना, जैसी कि विश्वविद्यालय उचित समझे.
- (चौदह) शोध एवं सलाहकारी एवं परामर्शी सेवाओं के लिये उपबंध करना और उस प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसे करार करना जैसा कि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;
- (पन्द्रह) शोध तथा अन्य कार्यों के, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाएं, मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;
- (सोलह) राज्य सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के मामलों के प्रयोजन के लिए, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;
- (सत्रह) अध्यादेश में अधिकथित रीति से सामाजिक उपाधियां और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;
- (अठारह) समस्त ऐसे अन्य कार्य तथा बातें करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या उनमें से किसी उद्देश्य को प्राप्त करने या उसमें अभिवृद्धि करने के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक हों।

c. (१) मध्यप्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा.

कुलाधिपति.

(२) वह उपाधि प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और शासी निकाय के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा।

कुलपति.

९. (१) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति में तथा ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों के साथ जो कि परिनियमों में विहित किए जाएं, पांच वर्ष की कालावधि के लिए की जाएगी।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अधिकारी होगा और कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा।

(३) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, कुलपति उपाधि प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह और शासी निकाय के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

१०. विश्वविद्यालय के अधिकारियों में संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण, कुल सचिव, वित्त नियंत्रक और ऐसे अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे, जिन्हें कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए।

कुलसचिव

११. एक कुलसचिव होगा, जो साधारण निकाय, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा और जो मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, १९८३ में यथाविनिर्दिष्ट रीति में नियुक्त किया जाएगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निवर्हन करेगा जो कि परिनियमों में विहित किए जाएं।

वित्त नियंत्रक

१२. एक वित्त नियंत्रक होगा जो वित्त समिति का सचिव होगा और जो मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, १९८३ में यथाविनिर्दिष्ट रीति में नियुक्त किया जाएगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निवर्हन करेगा जो कि परिनियमों में विहित किए जाएं।

संकायाध्यक्ष.

१३. प्रत्येक केन्द्र के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा, जो ऐसी रीति में, ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों सहित नियुक्त किया जाएगा जो कि विनियमों में विहित किए जाएं।

संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण.

१४. एक संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण होगा, जो ऐसी रीति में ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों सहित नियुक्त किया जाएगा, जो कि विनियमों में विहित किए जाएं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

१५. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:—

- (एक) शासी निकाय;
- (दो) कार्य परिषद्;
- (तीन) विद्या परिषद्;
- (चार) वित्त समिति; और
- (पांच) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

शासी निकाय.

१६. (१) मध्यप्रदेश के राज्यपाल की अध्यक्षता में शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा। पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। अशासकीय सदस्य, कुलपति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(२) शासी निकाय को कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी (सिवाय तब के जब कि इन अधिकारियों ने इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य किया हो) और वह विश्वविद्यालय की उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं की गई हों:

परन्तु इस उपधारा के अधीन पुनर्विलोकन की शक्ति का, शासी निकाय के कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के सिवाय प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(३) शासी निकाय की बैठक हेतु गणपूर्ति शासी निकाय के एक-तिहाई सदस्यों से कम से नहीं होगी।

शासी निकाय का गठन.

१७. विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा;

- (एक) विश्वविद्यालय का कुलाधिपति—अध्यक्ष
- (दो) विश्वविद्यालय का कुलपति—उपाध्यक्ष
पदेन सदस्य;
- (तीन) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग अथवा उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशित;

- (चार) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग अथवा उप सचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ;
- (पांच) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग अथवा अतिरिक्त सचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ;
- (छह) आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, अथवा अपर संचालक से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ;
- (सात) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती ;
- (आठ) विश्वविद्यालय के तीन संकायाध्यक्ष जो चक्रानुक्रम आधार पर तीन वर्ष के लिए कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे;
- (नौ) तीन आचार्य, विश्वविद्यालय संकायाध्यक्षों को छोड़कर, जो चक्रानुक्रम आधार पर तीन वर्ष के लिए कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे;
- (दस) विश्वविद्यालय का कुल सचिव—सचिव.

अशासकीय सदस्य

- (ग्यारह) शैक्षणिक विकास तथा गवेषणा के क्षेत्र में शैक्षणिक या गवेषणा का अनुभव रखने वाले दो छाति प्राप्त शिक्षाविद;
- (बारह) दो भूतपूर्व छात्र/एल्यूमिनी (पूर्व छात्र) या प्रसिद्ध व्यक्ति जो किसी भी रीति में चाहे वह कुछ भी हो विश्वविद्यालय से सहयुक्त न हों किन्तु जो ऐसे प्रतिष्ठित शासकीय/अशासकीय संगठनों से सहयुक्त हों जो शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में अनुभव रखते हों।

१८. (१) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शासी निकाय समस्त आवश्यक कार्रवाईयां करेगा।

शासी निकाय की शक्तियां तथा कृत्य.

(२) शासी निकाय, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा—

- (एक) विश्वविद्यालय के परिनियम बनाना एवं उन्हें संशोधित करना;
- (दो) प्रगति का पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना;
- (तीन) कार्य परिषद् या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी निकाय के किसी प्रस्ताव, सिफारिश, विनिश्चय या प्रतिवेदन को स्वीकार करना, रद्द करना, पुनर्विलोकन करना, अभिखंडित करना या उसे वापस निर्दिष्ट करना;
- (चार) अध्यादेश में संशोधन को प्रस्तावित करना;
- (पांच) शासी निकाय के सदस्यों के अतिरिक्त विशेष आमंत्रिती के रूप में और व्यक्तियों को आमंत्रित करना;
- (छह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो कि अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं।

१९. (१) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय की कार्यकारी निकाय होगी।

कार्य परिषद्

(२) पदेन सदस्यों के अलावा कार्यकारी परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, अशासकीय सदस्यों का नामनिर्देशन, कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष द्वारा शासी निकाय के अशासकीय सदस्यों में से किया जाएगा।

(३) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के सामान्य प्रबंध तथा प्रशासन (जिसमें राजस्व एवं संपत्ति सम्मिलित हैं) की प्रभारी होगी।

(४) बैठक हेतु गणपूर्ति कार्य परिषद् के कुल सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों से होगी।

**कार्य परिषद् का
गठन.**

२०. विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा :—

(एक) विश्वविद्यालय का कुलपति — अध्यक्ष;

पदेन-सदस्य

- (दो) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग या उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका कोई नामनिर्देशिती;
- (तीन) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका कोई नामनिर्देशिती;
- (चार) आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग अथवा अपर संचालक से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती;
- (पांच) विश्वविद्यालय के तीन संकायाध्यक्ष जो शासी निकाय के सदस्य हैं;
- (छह) विभागाध्यक्ष जो चक्रानुक्रम आधार पर तीन वर्ष के लिए कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे.
- (सात) विश्वविद्यालय का कुलसचिव—सचिव;

अशासकीय-सदस्य

- (आठ) दो ख्याति प्राप्त शिक्षाविद जो शासी निकाय के सदस्य हैं;
- (नौ) दो ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो शासी निकाय के सदस्य हैं.

**कार्य परिषद् की
शक्तियां तथ कृत्य.**

२१. (१) कार्य परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करेगी—

- (एक) समय-समय पर विश्वविद्यालय के अध्यादेश एवं परिनियमों से अनअसंगत विनियम बनाना एवं उन्हें संशोधित करना;
- (दो) शिक्षक वर्ग के पदों के वेतनमान के साथ-साथ अर्हताएं, पारिश्रमिक, कर्तव्य, सेवा शर्तें, अनुशासनिक तथा अपील प्राधिकारी सूजित करना तथा वर्गीकृत करना तथा निर्धारित करना;
- (तीन) आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, ग्रंथपाल और शिक्षक वर्ग के उतने अन्य सदस्यों को, इस प्रयोजन हेतु विनियमों द्वारा गठित की गई चयन समिति की सिफारिश पर, समय-समय पर नियुक्त करना जो कि आवश्यक हों:

परंतु शैक्षणिक पदों का सूजन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा;

- (चार) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से प्रशासकीय, लिपिकीय एवं अन्य आवश्यक पदों को सूजित करना तथा इन पदों की न्यूनतम अर्हताएं तथा परिलब्धियां निर्धारित करना;
- (पांच) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, निवेश, संपत्ति और सभी अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबंध करना तथा उन्हें विनियमित करना तथा उस प्रयोजन के लिये उतने अधिकर्ताओं की नियुक्ति करना जितने कि वह आवश्यक समझे;
- (छह) क्रय, दान, विनियम, पट्टे, भाड़े द्वारा या अन्यथा ऐसी चल या अचल संपत्ति या निधियां अर्जित करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों तथा अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों;
- (सात) विश्वविद्यालय की किसी चल या अचल संपत्ति को बेचना, बंधक रखना, भारित करना/पट्टे पर देना, विनियम करना या अन्यथा अंतरण या व्ययन करना;

(आठ) बांड, डिबैंचर और वचन पत्रों या अन्य बाध्यताओं या विश्वविद्यालय की प्रतिभूतियों पर, विश्वविद्यालय किसी स्थावर अथवा जंगम सम्पत्ति के बंधक, भार, आड़मान अथवा गिरवी द्वारा ऐसे धन जुटाना अथवा उधार लेना जो कि विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों;

(नौ) शिक्षक वर्ग के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही में जांच के प्रतिवेदन पर विचार करना, जहाँ विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार दीर्घ दण्ड प्रस्तावित हो;

(दस) अध्यादेश में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में अपील प्राधिकारी के रूप में कृत्य करना;

(ग्यारह) (क) वार्षिक प्रतिवेदन;

(ख) वार्षिक लेखा तथा संपरीक्षक का प्रतिवेदन;

(ग) वार्षिक बजट;

पर विचार करना तथा उनका अनुमोदन करना.

(बारह) बजट में यथा अनुमोदित, आवर्ती और अनावर्ती मदों पर व्यय मंजूर करना;

(तेरह) एक बजट शीर्ष से दूसरे बजट शीर्ष में निधियों को पुनर्विनियोजित करना;

(चौदह) शासी निकाय के समक्ष विचारण हेतु रखे जाने से पूर्व समस्त मामलों की छंटनी कर उनकी अनुशंसा करना;

(पंद्रह) कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा नियत ऐसी सीमाओं से अधिक मौद्रिक मूल्य के अभियांत्रिक कार्यों, पूँजीगत उपस्कर के क्रय और योजनाओं तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुमोदन प्रदान करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा तथा उपयोग हेतु उपबंध करना;

(सत्रह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जैसे कि शासी निकाय द्वारा उसे प्रदत्त या प्रत्यायोजित किए जाएं;

(अठाह) विश्वविद्यालय के कुलपति को या उसके द्वारा नियुक्त समिति को, जिसे कि वह उचित समझे, अपनी किन्हीं शक्तियों को प्रत्यायोजित करना.

(२) कार्य परिषद् :

(एक) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति तथा अभिवृद्धि हेतु नये विभागों, अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों, विस्तार तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सृजन कर सकेगी.

(दो) राज्य सरकार के वित्त विभाग के निर्बाधन के अध्यवीन रहते हुए, नवीन विद्यालयों तथा संस्थाओं के सृजन हेतु शासी निकाय को अनुशंसा कर सकेगी.

२२. (१) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की उच्चतम शैक्षणिक निकाय होगी.

विद्या परिषद्,

(२) पदेन सदस्यों से भिन्न, इसके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा.

(३) विद्या परिषद्, शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होगी तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी जो कि अध्यादेश में विहित किए जाएं.

विद्या परिषद् का
गठन.

२३. विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

- (एक) विश्वविद्यालय का कुलपति — अध्यक्ष;
- (दो) संकायाध्यक्ष, अध्ययन विभाग;
- (तीन) संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण;
- (चार) ग्रंथपाल;
- (पांच) वित्त नियंत्रक;
- (छह) समस्त विभागाध्यक्ष;
- (सात) दो छात्राति प्राप्त शिक्षाविद शासी निकाय के अशासकीय सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;
- (आठ) विश्वविद्यालय का कुल सचिव — सचिव

विद्या परिषद् की
शक्तियाँ तथा कृत्य.

२४. विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख विद्या संबंधी निकाय होगी तथा उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ तथा
कृत्य होंगे :—

- (एक) प्रवेश, शिक्षण के मानकों, परीक्षा, मूल्यांकन, अध्येतावृत्तियों, फीस, छूट, उपस्थिति, अनुशासन, शैक्षणिक समुन्नति और शैक्षणिक उत्कृष्टता आदि के लिए अध्यादेश बनाना तथा उनमें संशोधन करना, जिससे कि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके;
- (दो) विश्वविद्यालय के विद्या संबंधी समस्त मामलों जैसे शिक्षा, गवेषणा, विस्तार तथा प्रशिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विनिमय कार्यक्रमों आदि के संबंध में परामर्श करना, योजना बनाना, परिचालन, पर्यवेक्षण, मानीटर तथा प्रबंध करना;
- (तीन) अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं की उपाधियों तथा उपाधिपत्रों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय की उपाधियों तथा उपाधिपत्रों के संबंध में समतुल्यता अवधारित करना;
- (चार) परिसर में, जिसमें सम्मिलित हैं केन्द्र तथा विभाग, परीक्षा, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और शास्ति तथा दण्ड, आचरण, परिवीक्षा, समय-पालन आदि, अनुशासन तथा शालीनता बनाए रखने के लिए छात्रों के लिये विनियम बनाना;
- (पांच) शैक्षणिक कार्यक्रम और कलेण्डर, शिक्षण पाठ्यक्रम अनुमोदित करना तथा विश्वविद्यालय की वृहत् शैक्षणिक नीतियाँ निर्धारित करना जिसमें पाठ्यचर्चा विकास, अध्ययन बोर्ड के माध्यम से समय-समय पर पाठ्यक्रम विरचित करना तथा पुनरीक्षित करना सम्मिलित है;
- (छह) विद्या संबंधी मामलों के संबंध में ऐसे समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जैसे कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों;
- (सात) शासी निकाय या कार्य परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी विषय पर, रिपोर्ट करना;
- (आठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जैसे कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

वित्त समिति.

२५. (१) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

- (एक) कुलपति — अध्यक्ष (चेयरपर्सन);
- (दो) विश्वविद्यालय के तीन संकायाध्यक्ष जो कार्य परिषद् के सदस्य हों;
- (तीन) विश्वविद्यालय का कुल सचिव
- (चार) विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक — सचिव

(२) वित्त समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

(३) वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, विचार तथा समीक्षा हेतु वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे तथा तत्पश्चात् संशोधनों सहित या बिना संशोधन के कार्य परिषद् के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किए जाएंगे।

२६. (१) उतनी संख्या में, अध्ययन स्कूल होंगे जितनी शासी निकाय द्वारा अवधारित किए जाएं और उतनी संख्या प्राध्ययन स्कूल में प्राध्ययन केन्द्र तथा विभाग होंगे, जितनी कि कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएँ।

(२) पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आरंभिक तौर पर विश्वविद्यालय में निम्नलिखित प्राध्ययन स्कूल होंगे :—

- (एक) जीव विज्ञान स्कूल;
- (दो) शारीरिक विज्ञान स्कूल;
- (तीन) गणित और कम्प्यूटर विज्ञान स्कूल;
- (चार) सामाजिक विज्ञान स्कूल;
- (पांच) वाणिज्य और प्रबंधन स्कूल;
- (छह) भाषा स्कूल;
- (सात) विधि और सामाजिक न्याय स्कूल;

(३) शासी निकाय स्कूल गठित कर सकेगी और कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर केन्द्रों तथा विभागों को स्थापित कर सकेगी।

(४) प्रत्येक अध्ययन स्कूल का एक संकायाध्यक्ष होगा जो ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा जैसी कि विनियमों में विहित की जाएँ।

(५) प्रत्येक अध्ययन स्कूल ऐसे विभागों से मिलकर बनेगा जो कि अध्यादेशों द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएँ।

(६) प्रत्येक अध्ययन स्कूल का एक अध्ययन बोर्ड होगा जो ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसा कि अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएँ।

(७) अध्ययन बोर्ड की शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे कि अध्यादेश द्वारा विहित किए जाएँ।

२७. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं विषयों के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

- (एक) स्कूलों का सृजन;
- (दो) शासी निकाय का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उससे संबंधित अन्य विषय;
- (तीन) कार्य परिषद् का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उससे संबंधित अन्य विषय;
- (चार) विद्या परिषद् का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उससे संबंधित अन्य विषय;
- (पांच) कुलपति की नियुक्ति, निबंधन तथा शर्तें, वेतनमान तथा परिलब्धियां, शक्तियां तथा कृत्य;
- (छह) कुलसचिव की शक्तियां और कर्तव्य;
- (सात) ऐसे समस्त परिनियम जो अधिनियम के उपबंधों में समनुदेशित हों;
- (आठ) शासी निकाय के अनुमोदन से कोई अन्य विषय।

२८. विश्वविद्यालय, समय-समय पर, नवीन या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगा:

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएँगे।

परंतु प्रत्येक नया परिनियम या परिनियमों में कोई परिवर्धन या किसी परिनियम का संशोधन या निरसन, शासी निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा।

२९. विश्वविद्यालय निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये अध्यादेश बनाएगा, अर्थात् :—

- (एक) अध्ययन पाठ्यक्रम, प्रवेश, शिक्षण मानक, परीक्षाओं का संचालन, मूल्यांकन, अध्येतावृत्तियां, फीस, छूट, उपस्थिति, अनुशासन, शैक्षणिक समुन्नति तथा शैक्षणिक उत्कृष्टता जिससे की विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके;

अध्यादेश

- (दो) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली उपाधियाँ, उपाधिपत्र, प्रमाण-पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं तथा उनके लिए अर्हताएं;
- (तीन) विश्वविद्यालय की उपाधियाँ, उपाधिपत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के लिए ली जाने वाली परीक्षाएं;
- (चार) विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक कार्यों जैसे शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार तथा प्रशिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विनियम कार्यक्रम आदि का पर्यवेक्षण, मानीटरिंग तथा प्रबंधन;
- (पांच) आचार संहिता, नियम संहिता, अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा विद्यार्थियों के लिए समिति;
- (छह) विविध तथा अन्य विषय जो इस अध्यादेश या परिनियमों द्वारा, अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाने हों या उपबंधित किए जाएं.

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.

३०. प्रथम प्रशासनिक तथा शैक्षणिक अध्यादेश, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे तथा इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित करवाए जाएंगे:

परन्तु ऐसे अध्यादेशों में किसी संशोधन की दशा में, उक्त संशोधन अनुमोदन की तारीख से लागू होगा.

विनियम.

३१. विश्वविद्यालय, इस अधिनियम से अन्वेषण विश्वविद्यालय के संकाय और अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द के लिए नियुक्ति, सेवा के निबंधन तथा शर्तों, वेतन तथा भत्तों, सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं, पेंशन, उपदान आदि के लिए अपने स्वयं के विनियम बनाएगा.

विनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

३२. विश्वविद्यालय, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त विनियम बना सकेगा या विनियमों को संशोधित या उन्हें निरसित कर सकेगा:

परन्तु प्रत्येक नए विनियम या विनियम में कोई अभिवृद्धि या किसी विनियम में कोई संशोधन या निरसन, कार्य परिषद् के अनुमोदन से किया जाएगा.

वार्षिक रिपोर्ट.

३३. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और कार्य परिषद् को ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जैसी कि विहित की जाए प्रस्तुत की जाएगी.

लेखाओं की संपरीक्षा.

३४. (१) विश्वविद्यालय के लेखे, प्रति वर्ष कम से कम एक बार, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए लेखा संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे. लेखाओं की संपरीक्षा महालेखाकार द्वारा भी की जा सकेगी.

(२) संपरीक्षित लेखाओं की एक प्रति संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ अनुमोदन के लिए कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.

(३) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कार्य परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित संपरीक्षित लेखाओं की और संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् बारह मास से अनधिक के भीतर सरकार को प्रस्तुत की जाएगी.

विश्वविद्यालय की निधि.

३५. (१) विश्वविद्यालय निधि के नाम से विश्वविद्यालय की एक निधि होगी और इसकी समस्त प्राप्तियाँ इसमें जमा की जाएंगी तथा विश्वविद्यालय के समस्त भुगतान उसमें से किए जाएंगे.

(२) विश्वविद्यालय निधि के निम्नलिखित भाग होंगे या इसमें संदत्त किए जाएंगे—

(एक) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा कोई भाड़ा, अभिदाय या अनुदान;

(दो) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेन्ट्स) तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हों;

(तीन) समस्स स्रोतों से प्राप्तियाँ, जिसमें फीस तथा प्रभार सम्मिलित हैं;

(चार) विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियाँ जैसे अध्यापन, अनुसंधान, प्रशिक्षण, विस्तार, सेमिनार, परिसंवाद, कार्यशाला आदि के लिए समस्त स्रोतों से प्राप्त निधियाँ; तथा

(पांच) विश्वविद्यालय द्वारा किसी वैध स्रोत से प्राप्त की गई समस्त अन्य राशियां।

(३) विश्वविद्यालय निधि, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का २) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी।

३६. (१) विश्वविद्यालय निम्नलिखित उपाधियां प्रदान करेगा, अर्थात् :—

उपाधि तथा
उपाधि पत्र।

- (एक) साहित्य में डाक्टरेट (डी. लिट.) या विज्ञान में डाक्टरेट (डी.एससी.) या विधि में डाक्टरेट (एल.एल.डी.);
- (दो) विज्ञान, कला, वाणिज्य और विधि में (पीएच.डी.);
- (तीन) विज्ञान, कला, वाणिज्य और विधि में एम. फिल;
- (चार) विज्ञान, कला, वाणिज्य और विधि एवं सहबद्ध विषयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि;
- (पांच) ऐसी अन्य डाक्टरेट उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातक उपाधि या प्रमाण-पत्र जो कि विनियामक प्राधिकरणों अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अन्य राष्ट्रीय परिषदों के मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के माध्यम से विहित किए जाएं।

३७. सम्मानिक उपाधियां प्रदान करने का कोई भी प्रस्ताव विद्या परिषद् द्वारा कार्य परिषद् को किया जाएगा तथा यदि कार्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो पुष्टि के लिये कुलाधिपति की सहमति ली जाना अपेक्षित होगी।

सम्मानिक उपाधियां।

३८. विद्या परिषद् कम से कम दो तिहाई से अनिम्न सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किसी विशेष संकल्प द्वारा, उचित तथा पर्याप्त कारण से, विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्टता या उसे प्रदत्त किसी प्रमाण पत्र या उपाधिपत्र का प्रत्याहरण कर सकेगी:

उपाधियों इत्यादि का प्रत्याहरण।

परन्तु ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह कारण बताने का अवसर प्रदान करते हुए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित किया जाए, लिखित में एक सूचना पत्र न दे दिया जाए तथा जब तक उसकी आपत्तियों, यदि कोई हों तथा किसी साक्ष्य पर, जो व उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विद्या परिषद् द्वारा विचार न कर लिया जाए।

राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी।

३९. (१) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबन्ध के कारण ऐसी स्थिति उद्भूत हो गई है कि जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गई है, तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन होगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, प्रथमतः ऐसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार समय-समय पर वैसी ही अधिसूचना द्वारा, प्रवर्तन की कालावधि को ऐसी और कालावधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, बढ़ा सकेगी, परन्तु प्रवर्तन की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(३) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार के कार्यपालिक प्राधिकार का विस्तार उस सीमा तक रहेगा कि वह उक्त विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश दे कि वह (विश्वविद्यालय) वित्तीय औचित्य के ऐसे नियमों का, जो कि निदेश में विनिर्दिष्ट हों, अनुपालन करे और ऐसे अन्य निदेश दे जिन्हें कि राज्य सरकार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त समझे।

(४) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निदेश के अंतर्गत कोई ऐसा उपबंध आ सकेगा,—

(एक) जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि बजट मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(दो) जिसमें विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा कि जाए वह प्रत्येक ऐसी प्रस्थापना, जिसमें वित्तीय विवक्षाएं अंतर्विलित होती हों, मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करें;

- (तीन) जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किए गए अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों की वेतनमान तथा भत्तों के दरों के पुनरीक्षण संबंधी प्रत्येक प्रस्थापना मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाए;
- (चार) जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि विश्वविद्यालय की सेवाओं में के समस्त व्यक्तियों या उनके किसी वर्ग के वेतनों तथा भत्तों में कमी की जाए;
- (पांच) जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किए गए अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या में कमी की जाए;
- (छह) जो ऐसे अन्य विषयों के संबंध में हो जिनका कि यह प्रभाव हो सकता हो कि विश्वविद्यालय का वित्तीय दबाव कम हो जाए.

(५) इस अधिनियम में अंतविर्द्ध किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी तथा विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के लिए यह आबद्धकर होगा कि वह इस धारा के अधीन दिए गए निर्देशों को कार्यान्वित करें।

(६) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी इस धारा के अधीन दिए गए निर्देश के अनुपालन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की किसी निधि या संपत्ति के दुरुपयोजन के लिए, जिसका कि वह एक पक्षकार रहा हो या जो ऐसे अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों की ओर उपेक्षा के कारण घटित हुआ हो या सुकर हो गया हो, वैयक्तिक रूप से दायी होगा और इस प्रकार उपगत हुई हानि, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर, ऐसे अधिकारी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी:

परन्तु हानि की रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाने की कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर संबंधित व्यक्ति को न दे दिया गया हो और ऐसे स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार न कर लिया गया हो।

कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए विशेष उपबंध:

४०. (१) यदि राज्य सरकार का किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किए बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और यह कि ऐसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, उसमें वर्णित किए जाने वाले कारणों से यह निर्देश दे सकेगी कि उपधारा (२), (३), (४) और (५) के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के रूप में निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को लागू होंगे,

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है), नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसी और कालावधि की वृद्धि, जैसा वह उचित समझे, इस प्रकार कर सकेगी कि अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो जाए।

(३) नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद धारित करने वाला कुलपति इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है नियत तारीख से अपना पद रिक्त करेगा और कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी होने के साथ-साथ कुलपति को नियुक्त करेगा जो अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान पद धारण करेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति की नियुक्ति करेगा और वैसी ही रीति में कुलाधिपति द्वारा हटाया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किए रह सकेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(४) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे:—

- (एक) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किए हुए हो, उस पद पर नहीं रह जाएगा;

- (दो) जब तक यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का पुनर्गठन न हो जाए तब तक उपधारा (३) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि कार्य परिषद् या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किए गए हों:

परन्तु कुलाधिपति यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किए गए कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए एक ऐसी समिति की नियुक्त कर सकेगा, जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ से तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे।

(५) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, कुलपति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिए कार्यवाही करेगा और इस प्रकार गठित की गई कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाए, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, कार्य करना प्रारंभ कर देगी:

परन्तु यदि कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाए, तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए उस समय तक करेगा, जब तक कि यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाए।

४१. इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों से अनअसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

कठिनाईयों का दूर किया जाना।

४२. इस अधिनियम तथा परिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

अस्थायी उपबंध।

(एक) शासी निकाय, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के सदस्य, कुलपति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;

(दो) पंडित एस. एन. शुक्ला, महाविद्यालय, शहडोल की समस्त आस्तियां, अभिलेख तथा दायित्व, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से विश्वविद्यालय की आस्तियां, अभिलेख तथा दायित्व हो जाएंगे।

४३. विश्वविद्यालय के कुलापति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के संबंध में, जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या जिसका इस प्रकार सद्भावपूर्वक किया जाना तात्पर्यत रहा है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी और न ही उनसे कोई नुकसानी का दावा किया जाएगा। संरक्षण।

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. 14939-249-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (क्रमांक 28 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिताभ मिश्र, अतिरिक्त सचिव।